जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 01-05-2021**

आज दिनांक 01.05.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

40 शीशी अवैध देशी शराब(बंटी-बबली) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 20-20 शीशी अवैध देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – अनिरुद्ध गौड़ पुत्र मुरलीधर गौड़ 2 – घिसियावन पुत्र पतवारू निवासीगण कौलपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 40 शीशी अवैध देशी शराब(बंटी-बबली) के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 119 / 2021 व 120 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्ययालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0कां0 देवेन्द्र, कां0 भूपेन्द्र दूबे।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धमघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा दो पक्षों के विवाद में घायल दो व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत रक्शाकला से इवेन्ट संख्या 16106 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों मे विवाद में दो व्यक्तियों के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 07 मिनट मे घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद में घायल व्यक्तियों को जरिए एम्बुलेंस से प्रा0 स्वा0 केन्द्र सेमरियांवा भेजवाया गया तथा कालर को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रामचन्द्र सिंह, आरक्षी विनोद भारती, हो0चा0 देवेन्द्र नारायण शुक्ल।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनो से 41000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.05.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनो से 41000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।